सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/370

दायर दिनांक 06.12.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गोपालराम पुत्र भींवाराम, 2. रामचन्द्र पुत्र भींवाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. संजय पुत्र जोधाराम, 2. सालिनी पुत्री जोधाराम, 3. हस्ती देवी पत्नि जोधाराम, 4. किश्तुराराम पुत्र पूसाराम, 5. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम, 6. लालाराम पुत्र लिखमाराम, 7. भवानीराम पुत्र लिखमाराम, 8. राधा देवी पत्नि सोलुराम, 9. विमला पुत्री सोलुराम, 10. शारदा पुत्री सोलुराम, 11. सरीता पुत्री सोलुराम, 12. गणपत पुत्र सोलुराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, 14. विरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, 15. इन्द्रा कंवर पुत्री भंवर सिंह, 16. मन्जु कंवर पुत्री भंवर सिंह, 17. मरूधर कंवर पुत्री भंवर सिंह, 18. पुष्पा कंवर पत्नि भंवर सिंह, 19. गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह, 20. बजरंग सिंह पुत्र पुस सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासीगण आजडोली, तहसील डीडवाना 21. मैनेजर यूको बैंक डीडवाना 22. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित—

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: अन्तिम निर्णय ::—

दिनांक 26.12.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 138 रकबा 93.06 बीघा व खसरा संख्या 189 रकबा 14.17 बीघा वाके बेड़वा स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 20 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 138 रकबा 93.06 बीघा वाके बेड़वा में से वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 12 का खरीद सुदा व कब्जा सुद 1/2 हिंस्सा अर्थात 46.13 बीघा है, जिसमें से 30 बीघा भूमि की खातेदारी व कब्जा काश्त प्रतिवादी नम्बर 04 ता 12 का है तथा शेष 16.13 बीघा भूमि की खातेदारी व कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 अलग अलग रहते है। तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 189 रकबा 14.17 बीघा वाके बेड़वा की खातेदारी व कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 13 ता 20 की है। जिसमें से 1/2 हिंस्सा अर्थात 7.08 बीघा पर कब्जा काश्त वादीगण का है। उक्त दोनो खेतो का पक्षकारान ने आज से करीब 15 वर्ष पूर्व ही मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 138 रकबा 93.06 बीघा में से पूर्वी 11.02 बीघा वादी नम्बर 01 व 02 के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा 5.11 बीघा वादीगण के चिपते ही प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के बंट व कब्जा काश्त में आयी, तथा शेष भूमि पक्षकारान की यथावत रहेगी, तथा खेत खसरा संख्या 189 रकबा 14.17 बीघा वाके बेड़वा में से पूर्वी 1/2 हिंस्सा अर्थात 7.08 बीघा भूमि वादीगण के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा शेष 1/2 हिंस्सा की खातेदारी अन्य पक्षकारान के बंट, कब्जा काश्त में रहेगी। तथा इसी प्रकार पक्षकारान अपने अपने बंट में आये हिंस्सो पर काविज है, तथा काश्त करते है। इस बंटवारे को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा मे दर्शाया है जो वाद का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। तथा पक्षकारान ने उपरौक्त खेतो का वर्षो पूर्व ही मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया था लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से सरकारी सहायता लेने काश्त करने के समय व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है, इस कारण वादीगण उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा करवाना चाहते है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

मौखिक साक्ष्य में गोपालराम का शपथ पत्र पी0 डब्ल्यु0 01 है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –3 है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद बेड़वा के खेत खसरा संख्या 138 रकबा 93.06 बीघा व खसरा संख्या 189 रकबा 14.17 बीघा स्थित है जिसका वादी व प्रतिवादीगण के मध्य ''बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **26.12.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2018/370 दायर दिनांक 06.12.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. गोपालराम पुत्र भींवाराम, 2. रामचन्द्र पुत्र भींवाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. संजय पुत्र जोधाराम, 2. सालिनी पुत्री जोधाराम, 3. हस्ती देवी पत्नि जोधाराम, 4. किश्तुराराम पुत्र पूसाराम, 5. भंवरलाल पुत्र लिखमाराम, 6. लालाराम पुत्र लिखमाराम, 7. भवानीराम पुत्र लिखमाराम, 8. राधा देवी, पत्नि सोलुराम, 9. विमला पुत्री सोलुराम, 10. शारदा पुत्री सोलुराम, 11. सरीता पुत्री सोलुराम, 12. गणपत पुत्र सोलुराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, 14. विरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, 15. इन्द्रा कंवर पुत्री भंवर सिंह, 16. मन्जु कंवर पुत्री भंवर सिंह, 17. मरूधर कंवर पुत्री भंवर सिंह, 18. पुष्पा कंवर पत्नि भंवर सिंह, 19. गोपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह, 20. बजरंग सिंह पुत्र पुस सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासीगण आजडोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 21. मैनेजर यूको बैंक डीडवाना 22. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा –53, 188 R. T. Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक :– 26.12.2018

यह मुकददमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा बेड़वा के खेत खसरा संख्या 138 रकबा 93.06 बीघा व खसरा संख्या 189 रकबा 14.17 बीघा स्थित है, जिसका वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णितानुसार व वादी के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्रं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.12.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

ट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना